प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 58 / 12 – 13
राजगीर मिस्त्री वनाम् मो०भगवती देवी एवं अन्य
आदेश

22-12-12 आवेदक राजगीर मिस्त्री पिता स्व०रामधारी मिस्त्री साकिन गौसपुर खड़ासीन टोला देवी विगहा थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर नापी कराकर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम गौसपुर खड़ासीन थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
532	1821	6.25डी०	उ० – लखन मिस्त्री द० – छौर पू० – मगर राम प० – खरीदार

वाद की प्रविष्टि की गई । विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने विवादित जमीन को वजरिये वसिका सं० 3731/2009 द्वारा विपक्षी भगवती देवी से प्राप्त किया है और राजस्व रसीद भी आवेदक के नाम से कट रही है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि पर जब आवेदक के कब्जा को बाधित किया गया था तब आवेदक द्वारा धारा 144 द०प्र०सं०वाद स० 961/2011 अनुमंडल न्यायालय में लाया गया जिसमें अंतिम आदेश प्रथम पक्ष के पक्ष में हुआ था। विपक्षी का कहना है कि मो0 भगवती देवी पागल किस्म की महिला थी सरासर गलत है। भगवती देवी ने पूर्ण होशों हवास में यह वसीका निष्पादित की थी। विपक्षी द्वारा उस वसीका के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं की गई हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक विपक्षी भगवती देवी को बहला फुसलाकर तथा दिमागी कमजोर (पागल) होने के कारण प्रथम पक्ष ने उससे सादा स्टाम्प पर अंगूठा का निशान कराकर रजिस्ट्री करवा लिया है। उक्त खाता प्लॉट के जमीन पर प्रथम द्वारा एक रूपया भी नही दिया गया है। उपरोक्त जमीन के अलावा विपक्षी भगवती देवी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है जिसमें विपक्षी अपना अलग मकान बनाकर रहे।

अभिलेख में संलग्न केवाला की छायाप्रति का अवलोकन किया। विपक्षी मो० भागवती देवी ने दिनांक 20.07.09 को विवादित जमीन का केवाला

आवेदक के पक्ष में किया है। उक्त केवाला में विपक्षी भगवती देवी का फोटो एवं हस्ताक्षर मौजुद है। इस प्रकार विपक्षी का कथन कि आवेदक विपक्षी भागवती देवी का सादा स्टाम्प पेपर पर अंगूठा का निशान करवाकर रजिस्ट्री करा लिया है गलत साबित होता है। साथ ही विपक्षी के द्वारा ऐसा कोई कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जिससे कि साबित हो कि भागवती देवी पागल हैं।

एक बार जमीन का बिक्री करने के उपरान्त पुनः उसी जमीन पर विक्रेता के द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकार,आवेदक के द्वारा मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करती है। अंचल अधिकारी करपी को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह के बाद विवादित जमीन का आवेदक से नापी शुल्क लेकर नापी कराकर दखल कब्जा दिलाये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी अरवल को अनुपालन हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

27.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

27.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।